न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/435

मोडू लाल आत्मज चतुर्भुज जाति माली निवासी ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा
---अपीलान्ट

बनाम

1. अब्दुल हकीम आत्मज श्री हाजी मोहम्मद याकूब जाति मुसलमान निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 12.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा एंव अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 439 की 05 बीघ 08 बिस्वा आराजी रामजान की पत्नी श्री मोहन लाल जी जाति महाजन के खाते दर्ज थी जिसे वादी ने दिनांक 10.07.1981 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था जिस पर वादी क्रय की दिनांक से ही काबिज चला आ रहा है । वादी की आराजी के पास ही मांगीलाल आत्मज श्री अजीमखॉ जाति मुसलमान की आराजी खसरा नम्बर 432 की 11 बीघा 11 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 433 की 02 बीघा 03 बिस्वा कुल किता दो की 13 बीघा 14 बिस्वा आराजी स्थित है । खसरा नम्बर 439 की 05 बीघा 08 बिस्वा आराजी के बाद सेटलमेंट नवीन खसरा नम्बर 651 की 0.46 हैक्टर कायम हुआ । इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी की आराजी में 0.40 हैक्टर आराजी कम दर्ज कर दी जबकि वादी की आराजी 0.86 हैक्टर दर्ज होनी चाहिए थी । इस प्रकार वादी न्यायालय की सहायता से सेटलमेंट विभाग द्वारा कम की गई आराजी को पुनः अपने खाते में दर्ज कराने का अधिकारी है । खसरा नम्बर 432 की

11 बीघा 11 बिस्वा के बाद सेटैलमतेंट नवीन खसरा नम्बर 647 की रकबा 1.90 हैक्टर दर्ज किया तथा खसरा नम्बर 433 की 02 बीघा 03 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 650 की 0.38 हैक्टर तथा 653 की 0.13 कुल 02 किता की 0.51 हैक्टर दर्ज किया गया उक्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज कर दी गई । सेटलमेंट विभाग ने प्रतिवादी क्रम 1 के खाते 02 बीघा 07 बिस्वा आराजी अधिक दर्ज कर दी गई जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी की आराजी खसरा नम्बर 651 की 0.46 हैक्टर के स्थान पर 0.86 हैक्टर दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी की आराजी 05 बीघा 08 बिस्वा पर से वादी को बेदखल नहीं करे तथा शांतिपूर्वक काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 के द्वारा वादी का वाद रेसजूडीकेटा से बाधित होना मानते हुए खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.06.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का वाद रेसजूडीकेटा से बाधित मानने में त्रुटि की है , जबकि पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि के सम्बन्ध में कभी भी निर्णय नहीं दिया तथा बिना निर्णय के रेसजूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि लोक अदालत में पक्षकारान द्वारा विधिवत रूप से कोई राजीनामा पेश नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में हक, घोषणा का दावा पेश किया था जिसमें प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाबदावा भी पेश किया जा चुका था, पत्रावली साक्ष्य में लम्बित थी और इसी लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में दावा खारिज किया है । लोक अदालत में पक्षकारान ने कोई विधिवत राजीनामा भी पेश नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेसजूडीकेटा से दावे को बाधित होना मानकर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का दावा खारिज कर प्रतिवादी को खसरा नम्बर 650, 653 पर दखल दिलाने का आदेश जारी करने में त्रुटि की है, जबकि न तो रेस्पोडेन्ट का काउन्टर क्लेम था और न ही इस बाबत् कोई तनकी कायम की गई । अधीनस्थ न्यायालय ने फोटो प्रति के आधार पर बिना दस्तावेजात को प्रदर्श करवाए निर्णय पारित किया है । प्रकरण में तनकीयात कायम हो चुकी हैं फिर भी तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय

एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रतिवादी के पक्ष में धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा निर्णित हो चुका है । रेस्पोडेन्ट की आराजी एवं अपीलान्ट की आराजी के बीच में एक तलाई भी स्थित है । तलाई पाट कर रेस्पोडेन्ट की आराजी` अपीलान्ट को नहीं दी जा सकती । पूर्व में रेस्पोडेन्ट के पक्ष में जो निर्णय पारित किया गया है उससे अपीलान्ट वादी का दावा रेसजूडीकेटा से बाधित है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्ष 1987 में क्रय की है और तब से वह उक्त आराजी पर काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत वादी का दावा खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया लोक अदालत में वादी एवं प्रतिवादी में से किसी की भी उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है न ही कोई राजीनामा पक्षकारान द्वारा पेश किया गया है और उसी दिन दावा वादी खारिज किया गया है । लोक अदालत में यदि पक्षकारान द्वारा विधिवत रूप से उपस्थित होकर राजीनामा पेश नहीं किया गया है तो ऐसे प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा